मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 6 जून 2006

क्रमांक एफ–8–1/2006/छैः/1.–संक्षिप्त नियम (1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा नियम, 2006 कहलायेंगे।

2. **उद्देश्य तथा परिभाषा–**

(1) इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पर जाने वाले यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

(2) तीर्थ यात्रियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा चयनित किये गये हो तथा ऐसे व्यक्तियों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण कर ली हो।

3. **तीर्थ यात्रा जाने के लिये पात्रता–**

(1) कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

(2) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा चयनित व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त का पात्र होगा।

(3) यदि आवेदनकर्त्ता (चयनित व्यक्तियों में) पति–पत्नी दोनों हों तो एक के चयन होने की स्थिति में दोनों की यात्रा की पात्रता भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार होगी।

(4) जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. **तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि–**

(1) मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा चयनित व्यक्ति की सूची में स्थान पाते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हें यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 30,000/– तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी, इसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा।

5. **अनुदान का भुगतान–**

अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र मे ंविदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा।

इस नियम के किसी भी खण्ड या उपखण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे।

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./–

(जी एस. खैरवार)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

प्रपत्र

कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन–पत्र :–

(1) यात्री का नाम

(2) पिता/पति का नाम

(3) व्यवसाय

(4) निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक यदि हो तो)

(5) विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष एवं बैंच क्रमांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि

(6) कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण –पत्र

(7) यात्रा पर हुए व्यय का विवरण

(8) कैलाश मानसरोवर की क्या प्रथम यात्रा है (हां/नहीं)

(9) पहचान–पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ–3–23–2016–छः–विभागीय आदेश क्रमांक एफ–8–1–2006–छः–1 दिनांक 6 जून 2006 से कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा हेतु कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा नियम, 2006 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 4(2) में अनुदान राशि के संबंध में एवं कंडिका 5 के अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थेः–

कंडिका 4(2)–'' अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान करेगा।''

कंडिका 5–'' अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि मे प्रस्तुत करेगा.''

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 6 जून, 2011 के निगम की उपरोक्त कंडिका 4(2) एवं 5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

''अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित अभिलेख सहित संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि मे प्रस्तुत करेगा।''

उक्त संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र.एफ–3–80–2016–छः.– विभागीय आदेश क्रमांक 8–1–2006–छैः–1 दिनांक 6 जून 2006 से कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा हेतु कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा नियम, 2006 प्रसारित किये गये थे मं एतदद्वार संशोधन किया जाता है।

नियम 3 (1) में ''कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो'' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं :

परन्तु वह आयकर दाता न हो।

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 8–1–2006–छैः–1 दिनांक 6 जून 2006 के अनुसार रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।